"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2008—पौष 5, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बिचित्र नायक आत्मज श्री जगन्नाथ नायक, उम्र 44 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 9-ए/ क्रास स्ट्रीट 4/सेक्टर-5 भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर बी. नायक रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बी. नायक आत्मज श्री जगन्नाथ नायक के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
बिचित्र नायक आत्मज श्री जगन्नाथ नायक निवासी-क्वा. नं. 9-ए/ क्रास स्ट्रीट 4 सेक्टर-5, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	बी. नायक आत्मज श्री जगन्नाथ नायक निवासी-क्वा. नं. 9-ए/ क्रास स्ट्रीट 4 सेक्टर-5, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

प्रारूप चौदह

[नियम 18(2) देखिए]

नगर विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन रायपुरा क्षेत्र के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है -

(1) रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के " छत्तीसगढ़ राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा.

वर्धमान सुराना,
अध्यक्ष

Form XIV
[See rule 18 (2)]

Notice of Publication of Draft of Town Development Scheme

Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepare for the area Raipura under sub-section (3) of section 50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of available for inspection during office hours in the office of :-

(1) Raipur Development Authority, Raipur

(2) Jonit Director Town & Country Planning District Office, Raipur

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected there by within 30 days of the publication of this notice in the " Chhattisgarh Gazette " will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

Vardhman Surana
Chairman.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उपजां/परि./08/885.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/197 दिनांक 13-3-08 के द्वारा मां चन्द्र हासिनी गौण खनिज सहकारी समिति मर्या., आमाकोनी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 217 दिनांक 20-3-97 है. को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. सूर्यवंशी, पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. ठाकुर, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 4-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.